



असम विश्वविद्यालय, सिलचर

परिपत्र


विषय: विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विविध विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार कार्यालयों द्वारा हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय न करने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया है। ये आदेश इस प्रकार हैं:

'मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं। उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए'।


अतः विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों के अध्यक्षों से निवेदन है कि उक्त आदेशों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

संख्या: ए.यू.एस/आर.सी/53/2018/2145


कुलसचिव (प्रभारी)
दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव को मननीय कुलपति के सूचनार्थ
2. प्रति कुलपति, दिफु परिसर, असम विश्वविद्यालय
3. विभागों/अनुभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष।
4. निदेशक (राजभाषा), राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ✓ 5. निदेशक कंप्यूटर सेन्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. फाइल।


कुलसचिव (प्रभारी)

